



राजस्थान-सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358, email : dir-sans-rj@nic.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)पार्ट-1/प्राध्यापक/2021/39144-48 दिनांक: 03/12/2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक: एफ 6(33) परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/2016-17/762 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक /2021/31984-93 दिनांक 22.09.2021 में क्र.सं. 02 मेरिट क्रमांक 39 पर अवस्थित ईशा मीना पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार चांदा को प्राध्यापक-हिन्दी के पद पर रा. वरि. उपा. संस्कृत विद्यालय, बायतू स्टेशन, बायतू जिला बाडमेर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अभ्यर्थी द्वारा रा. वरि. उपा. संस्कृत विद्यालय, बायतू स्टेशन, बायतू जिला बाडमेर में दिनांक 28.09.2021 को कार्यारम्भ कर लिया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक: एफ 6(33) परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/2016-17/1551 दिनांक 30.11.2021 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि-“अभ्यर्थी ने बी0एड0 परीक्षा दिनांक 07.12.2020 को उत्तीर्ण की है, जबकि उक्त विषय की परीक्षा दिनांक 04.08.2020 (प्रथम प्रश्न पत्र-जी. के.) व दिनांक 05.08.2020 (द्वितीय प्रश्न पत्र-विषय-हिन्दी) को आयोजित की गई। उक्त वर्णित स्थिति के अन्तर्गत अभ्यर्थिया ईशा मीना को सेवा नियमानुसार परीक्षा दिनांक 04.08.2020 से पूर्व निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण पूर्व में किया गया इनका चयन निरस्त किया जाता है। अतः आप इनके नियुक्ति आदेश को रद्द करे। “

राजस्थान लोक आयोग द्वारा ईशा मीना के चयन को निरस्त करने के फलस्वरूप विभागीय नियुक्ति आदेश दिनांक 22.09.2021 द्वारा ईशा मीना पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार चांदा को दी गयी नियुक्ति को रद्द करते हुए इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

3/12/2021
(डॉ० दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

39144-48
03/12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव राजस्थान लोक आयोग अजमेर को उनके पत्र दिनांक 30.11.2021 की पालना में सूचनार्थ।
2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी।
3. प्रधानाचार्य, रावउपासंवि बायतू स्टेशन बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि ईशा मीना प्राध्यापक-हिन्दी को तत्काल सेवामुक्त कर पालना रिपोर्ट विभाग में भिजवावे।
4. संस्थापन-2(ख)- निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
6. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर